संख्या-29/2022/45/23-10-21-02(व्या0वि0नि0)/2016

प्रेषक,

राजेश कुमार अग्रवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ दिनांक 11 फरवरी, 2022**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि योजना में अनुदान सं0-58 के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ एवं गाजीपुर के कुल 02 सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन।**

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (बजट क वर्ग) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र संख्या-8659बी0जी0/7बी0ग्रामीण मार्ग/2021-22 दिनांक 19.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि योजना में अनुदान सं0-58 के अंतर्गत **जनपद आजमगढ़ एवं गाजीपुर के कुल 02 सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु** निम्नविवरणानुसार कॉलम-10 में अंकित कुल लागत रू0 69.80 लाख (रूपये उनहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/ शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत लागत	बचत	वास्तविक लागत	31.03.2021 तक आवंटन/ व्यय	01.04.21 को अवशेष	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन
1	2	3	4	5	6	**7**	**8**	9	**10**
1	नि0ख0-2 आजमगढ़	ब्लाक तहबर में के0टी0 एम0 मार्ग किमी0 13 से पूरक (पूरब) मिश्रानी (सोफीपुर) ग्राम तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1.70	80.85	0.20	80.65	40.85	39.80	39.80
2	प्रा0ख0 गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में रायपुर पलिवार गदाईपुर मार्ग पर स्थित फातिमापुर में सुरेश मास्टर के घर से सरकारी टयूबवेल होते हुये बनकटा यादव बस्ती तक सम्पर्क निर्माण कार्य	1.00	51.00	2.15	48.85	14.20	34.65	30.00
		योग -	**2.70**	**131.85**	**2.35**	**129.50**	**55.05**	**74.45**	**69.80**

क्रमश :

http://shasanadesh.up.nic.in

2- अवमुक्त की जाने वाली धनराशि केवल उपरोक्त अंकित परियोजना पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।

3- उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी ।

4- उक्त चालू कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-15-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण संपर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021-बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनॉक 22 मार्च 2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या-29/2022/45(1)/23-10-22, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(2) संबंधित मण्डलायुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी ।
(3) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(4) मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(6) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(7) लोक निर्माण अनुभाग-09/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in